छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर

कमांक/एफ–16–49/2019/25/2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– /07/2020
10 AUG 2020

प्रति,

समस्त कलेक्टर्स
छत्तीसगढ़.

विषयः– छ.ग. राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियो की एकजाई सूची का प्रेषण।

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 03.06.2020 द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियों की एकजाई सूची अधिसूचित किया गया है, जो छत्तीसगढ़ राजपत्र के दिनांक 27 जून 2020 के अंक मे प्रकाशित हुई है, जिसकी प्रति संलग्न है।

2– कृपया आपके जिले के जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले/सत्यापन करने वाले सक्षम प्राधिकारियो को उक्त राजपत्र की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

संलग्नः– यथोपरि.

A.R.O.

(एस.के. दुबे)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजा.वि.वि.

पृ.कमांक/एफ–16–49/2019/25/2/966 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक– /07/2020
10 AUG 2020

27.8.20

प्रतिलिपिः–

1– विशेष सहायक, मान. मंत्री, आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
2– सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग/राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
3– आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
4– संचालक, सह सदस्य सचिव, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति, कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर
5– समस्त संभागीय आयुक्त, छत्तीसगढ़
6– संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, पुरखौती–मुक्तांगन के पास, सेक्टर 24, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर.
7– सचिव, छ.ग. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सी–21, रवि नगर, कलेक्ट्रेट के पीछे, रायपुर छ.ग.
8– समस्त सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, छत्तीसगढ़

की ओर राजपत्र की एक प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
आदिम जाति तथा अनुजा.वि.वि.

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 जून 2020 — आषाढ 6, शक 1942

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 3 जून 2020

अधिसूचना

कमांक/एफ–16–49/2019/25/2. — मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ. 23–4–97–चौव्वन–1 दिनांक 02 अप्रैल 1997 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 1 में 05 अप्रैल 1997 को प्रकाशित हुई है, द्वारा जारी सूची में मध्यप्रदेश की जातियों के नागरिकों के वर्ग को सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग घोषित किया गया है। इस सूची में 87 जाति समूह/जाति सम्मिलित है। मध्यप्रदेश राज्य से पृथक होकर दिनांक 01–11–2000 से नवगठित राज्य छत्तीसगढ़ में यह सूची अनुकूलित की गई है।

2/ उक्त अधिसूचना प्रकाशन के बाद अनेकों जातियाँ इस सूची में सम्मिलित की गई है। कतिपय जातियों के नाम में संशोधन किया गया है, कामा (,) तथा कोष्ठक भी हटाए गए हैं, जो निम्नानुसार है–

1/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक डी–4111/3131/3662/2002/आजावि, दिनांक 09 अगस्त 2002 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुई है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित राउत, गोवारी के पश्चात् रावत को शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–54/25–2/10/आजावि, दिनांक 14 सितम्बर 2010 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित हुई है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत के पश्चात् "गोपाल" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–10–4/2012 /25–2 दिनांक 28 अप्रैल 2012 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 01 जून 2012 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनसूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित जाति "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत के बाद यादव, राऊत एवं ग्वाला को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–16/2014/25–2 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित जाति "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव (यादव) बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल (राउत) महकुल, गोप, गवाली, लिंगायत रावत के आगे गहिरा, गौली को सम्मिलित किया गया है।

2/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 01 में सम्मिलित अहीर, ब्रजवासी, गवली गोली, जादव (यादव), बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी (ग्वारी), गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, (राउत), महकुल, गोप, ग्वाली, लिगायत, रावत के स्थान पर "अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, गोवारा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, रावत" प्रतिस्थापित किया गया है।

3/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि, दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 03 में सम्मिलित जाति बैरागी (वैष्णव) स्थान पर "बैरागी, वैष्णव' प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/ आजावि, दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 03 में सम्मिलित जाति बैरागी, वैष्णव के पश्चात् थनापति को सम्मिलित किया गया है।

4/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 05** में सम्मिलित बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई (चौरसिया) के स्थान पर "बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया" प्रतिस्थापित किया गया है।

5/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–33/25–2/2012/आजावि रायपुर, दिनांक 07 सितम्बर 2012 जो छ.ग. राजपत्र मे 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 12** में अंकित जातियों ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावडा/तुरहा, केवट के पश्चात् "**केंवट**" स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 12** मे सम्मिलित ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावडा/तुरहा, केवट (कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम), केंवट कीर, ब्रितिया, (वित्तिया), सिंगरहा, जालारी (जालारनलु बस्तर जिले मे) सोधिया के स्थान पर "ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर/मल्लाह, नावडा/तुरहा, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, केंवट, कीर, ब्रितिया, वित्तिया, सिंगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर जिले मे), सोधिया" प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–16–34/2016/25/2 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 नवम्बर 2019 द्वारा अनुसूची के **सरल क्रमांक 12** में अंकित "जालारनलु" (बस्तर जिले मे) के स्थान पर जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर दतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा जिलों में) प्रतिस्थापित किया गया है।

6/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमाक/एफ–19–33/25–2/2012 रायपुर दिनाक 07 सितम्बर 2012 जो छ.ग. राजपत्र में 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 14** मे अंकित जातियो भुर्तिया एवं भुतिया के आगे भोरथिया, भोरतिया को स्थापित किया गया है।

7/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमाक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि. दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 16** में अंकित जाति भटियारा के पश्चात् हलवाई, गुरिया को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमाक/एफ–19–16/2014/25–2 दिनांक 09 सितम्बर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 सितम्बर 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 16** में अंकित जाति भटियारा हलवाई, गुरिया के पश्चात् गुडिया, गुडीया सम्मिलित किया गया है।

8/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन,नवा रायपुर, अटल नगर, की अधिसूचना क्रमांक/एफ–16–34 /2016/25–2 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 20** मे अंकित जाति धोबी के बाद कोष्ठक मे अंकित भोपाल, रायसेन कोष्ठक के भीतर अंकित प्रविष्टि "**भोपाल, रायसेन, सीहोर जिलों को छोड़कर**" को कोष्ठक सहित विलोपित किया गया है। छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर की अधिसूचना क्रमाक/एफ–10–14 /25–2/10/आजावि दिनाक 27 अगस्त 2010 जो छत्तीसगढ राजपत्र मे दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 20** मे सम्मिलित "धोबी, बटठी, बरेठा, रजक" के पश्चात् "**बरेठ**" को स्थापित किया गया है।

9/ छत्तीसगढ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की अधिसूचना क्रमाक/ एफ–16–34/2013/25–2 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 21** में अंकित जाति मीणा (विदिशा जिले की सिरोज एवं लटेरी तहसील को छोडकर) जाति मीणा के बाद कोष्ठक में अंकित "विदिशा जिले की सिरोज एवं लटेरी तहसील को छोडकर", को कोष्ठक सहित विलोपित किया गया है।

10/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक/एफ–10–3/25–3/2009 /आजावि दिनांक 07 सितम्बर 2009 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 18 सितम्बर 2009 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के **सरल क्रमांक 23** में अंकित जाति गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाड़री, धारिया, धोषी, गडरिया, गारी, गायरी, (पाल बघेले) के पश्चात् "गडेरी" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/2013 /आजावि रायपुर दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के **सरल क्रमांक 23** में अंकित गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाडरी, धारिया, धोषी (गडरिया) गारी, गायरी, गडरिया (पाल, बघेले) के स्थान पर गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकर, गाडरी, धोषी, गड़रिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले प्रतिस्थापित किया गया है।

11/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 25** मे सम्मिलित कोष्टा, कोष्टी (देवांगन), कोष्टा, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी (लिंगायत), गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी के स्थान पर कोष्टा, कोष्टी, देवांगन, माला, पदमशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढ़वाल, गढ़ेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी प्रतिस्थापित किया गया है।

12/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–53/25–2/2010 /आजावि, दिनांक 14 सितम्बर 2010 जो छ.ग. राजपत्र दिनांक 01 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 27** मे अंकित जाति गुसाई, गोस्वामी के पश्चात् "गोसाई" को स्थापित किया गया है।

13/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–53/25–2/2010 /आजावि, दिनांक 26.05.2010 जो छ.ग. राजपत्र में 02 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 30** में अंकित जाति गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास के पश्चात् "नाथयोगी" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–16/2014 /25–2/आजावि, दिनांक 09 सितम्बर 2016 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 09 सितम्बर 2016 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 30** मे अंकित जाति गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी के पश्चात् "जोगी, नाथजोगी" को सम्मिलित किया गया है।

14/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 32** में सम्मिलित सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, (स्वर्णकार), अवधिया, औधिया, सोनी (स्वर्णकार) के स्थान पर "सोनार, सुनार, झाणी, झाड़ी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी" प्रतिस्थापित किया गया है।

15/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–5972/3136 /25–2/2004/आजावि दिनांक 08 सितम्बर 2004 जो छ.ग. राजपत्र में 15 अक्टूबर 2004 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 33 मे अंकित जाति काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य) कोयरी या कोइरी (कुशवाहा) पनारा, मुराई, सोनकर के आगे "कोईर" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22 /25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 33 (अ)** मे सम्मिलित काछी (कुशवाहा, शाक्य, मौर्य), कोयरी या कोइरी (कुशवाहा), पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर, के स्थान पर "काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर" प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–4111/3136 /3662/ 2002/आजावि दिनांक 09 अगस्त 2002 जो छ.ग. राजपत्र मे 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल क्रमांक 33(ब) में माली (सैनी) मरार के पश्चात् "पटैल (हरदिहा मरार) शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति

विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 33(ब)** में अंकित जाति माली (सैनी) मरार, पटैल (हरदिहा मरार) के स्थान पर "माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार प्रतिस्थापित किया गया है।

16/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2 /2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 34** में अंकित जाति जोशी (भड़डारी) डकोचा, डकोता के स्थान पर जोशी, भड़डारी, डकोचा, डकोता प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014/25–2 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में 09 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 34** में अंकित जोशी, भड़डारी, डकोचा, डकोता के आगे भटरी, भडरी, भठरी सम्मिलित किया गया है।

17/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–3/25–3 /2009/आजावि दिनांक 08 जुलाई 2009 जो छ.ग. राजपत्र मे 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 36** मे अंकित जाति "ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घडवा, झारिया" के पश्चात् "कसेर" को स्थापित किया गया है।

18/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–17/25–3/2009 /आजावि, रायपुर दिनांक 03 जुलाई 2010 जो छ.ग राजपत्र में 23 जुलाई 2010 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित जाति "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुभी, गवैल (गमैल) सिरवी" के पश्चात् "कुन्वी" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–13/25–2/10 /आजावि, दिनांक 14 सितम्बर 2010 जो छ.ग. राजपत्र में 01 अक्टूबर 2010 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित जाति "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुभी, गवैल (गमैल) सिरवी" के पश्चात् "चंदनाहू, चन्नाहू" को स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि, दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित जाति "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, कुभी, गवैल (गमैल) सिरवी" के स्थान पर "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवशी, चन्द्राकर, चन्दनाहू, कुभी, गवैल, गमैल, सिरवी प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि, दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित जाति "कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार (कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी), कुर्मवशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुभी, गवैल, गमैल सिरवी" के पश्चात् "गबेल" को सम्मिलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014/25–2 /आजावि, दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में 09 दिसम्बर 2016 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित जाति कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवशी, चन्द्राकर, चदनाहू, कुभी, गवैल, गमैल, सिरवी के पश्चात् "कुन्वी, कुनवी" को प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014/25–2/आजावि, दिनांक 09 सितम्बर 2016 जो छ.ग. राजपत्र में 09 सितम्बर 2016 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 39** में अंकित

जाति कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुन्बी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चन्द्रनाहू, चंदनाहू, चन्नाहू, कुभी, गवैल, गमैल, सिरवी, गबेल, कुन्ची, कुनवी के पश्चात् "गवेल और गभेल" सम्मिलित किया गया है।

19/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 42** मे सम्मिलित कलार (जायसवाल), कलाल, डडसेना के स्थान पर " कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना" प्रतिस्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014/25–2/आजावि, दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में 09 दिसम्बर 2016 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 42** में अंकित जाति कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना के आगे "कलवार" को सम्मिलित किया गया है।

20/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014/25–2 /आजावि, दिनांक 22 सितम्बर 2010 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 सितम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 44** मे अंकित जाति लोनिया, लुनिया, औड, ओडे ओडिया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुडहा, मुड़ाहा, के पश्चात् "नुनिया, नोनिया" को स्थापित किया गया है।

21/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 45** में सम्मिलित नाई (सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास), म्हाली, नाव्ही, उसरेटे के स्थान पर "नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे" प्रतिस्थापित किया गया है।

22/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की अधिसूचना क्रमांक /एफ–16–34/2016/25–2 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 47** मे अंकित जाति पनिका के बाद कोष्ठक में अंकित प्रविष्टि (छतरपुर, पन्ना, दतिया, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी, शहडोल जिलों को छोड़कर) को कोष्ठक सहित विलोपित किया गया है।

23/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 07 मार्च 2014 में प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 51** में सम्मिलित तेली (ठाठ, साहू, राठौर) के स्थान पर "तेली, ठाठा, साहू, राठौर" प्रतिस्थापित किया गया है।

24/ मध्यप्रदेश शासन, पिछडा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–23–14/98/54–1 भोपाल दिनांक, 21.09.1998 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 53** पर अंकित "तवायफ" जाति को विलोपित किया गया है।

25/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, की अधिसूचना क्रमांक /एफ–16–34/2016/25–2 दिनांक 25.11.2019 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 57** मे अंकित जाति कोटवाल के बाद कोष्ठक में अंकित प्रविष्टि (भिण्ड, धार, देवास, गुना, ग्वालियर, इन्दौर, झाबुआ, खरगौन, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, शिवपुरी, उज्जैन एवं विदिशा जिलों को छोडकर) को कोष्ठक सहित विलोपित किया गया है।

26/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–19–22/25–2/2013/आजावि दिनांक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 07 मार्च 2014 मे प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 59** मे सम्मिलित लोढा (तवर) के स्थान पर "लोढा, तंवर" प्रतिस्थापित किया गया है।

27/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–2/25–2/09 /आजावि, दिनांक 27 अगस्त 2010 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 24 सितम्बर 2010 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 60** में अंकित जाति "मोवार" के पश्चात् "मौवार" को स्थापित किया गया है।

28/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–3/2013/25–2 /नवा रायपुर दिनांक 10 अगस्त 2017 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 10 नवम्बर 2017 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 65** में अंकित सुत सारथी –सईस/सहीस जातियों को विलोपित किया गया है।

29/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–11/25–2/10 /आजावि, दिनांक 14 सितम्बर 2010 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 01 अक्टूबर 2010 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 68** में अंकित "रजभर" के पश्चात् "राजभर" को स्थापित किया गया है।

30/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ 19–33/25–2/2012 /आजावि दिनांक 07 सितम्बर 2012 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 78** में अंकित बया महरा/कौशल, बया के आगे "बया" को स्थापित किया गया है।

31/ मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ–23–14/98/54–1 भोपाल दिनांक 21.09.1998 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 81** पर अंकित "अथवा बौद्ध धर्म (नवबौद्ध)" को विलोपित किया गया है।

32/ मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय की संशोधन आदेश क्रमांक/एफ–9–10/2000/54–1 भोपाल दिनांक 26.07.2000 द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 83** में अंकित धोरिया के स्थान पर "थोरिया" पढ़े जाने का संशोधन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ 19–16/2014/25–2 दिनांक 09 सितम्बर 2016 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 सितम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 83** में अंकित थोरिया के आगे "थुरिया, थुडिया" को सम्मिलित किया गया है।

33/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ 19–22/25–2 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 87 (10)** में अंकित मनिहार के आगे "चुड़िहार" को सम्मिलित किया गया है।

34/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–4221/944/2002 /आजावि दिनांक 16 अगस्त 2002 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 16 अगस्त 2002 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 89** में शौण्डिक, सुण्डी, सूड़ी एवं सोढ़ी जाति को सम्मिलित किया गया है।

35/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–3588/1109/2003 /आजावि दिनांक 31 जुलाई 2003 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 90** में भूलिया–भोलिया को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ 19–16/2014/25–2 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 90** में सम्मिलित भूलिया–भोलिया के आगे "भुलिया" को सम्मिलित किया गया है।

36/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक डी–3599/1109/2003 आजावि दिनाक 31 जुलाई 2003 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 91** में पोबिया जाति को सम्मिलित किया गया है।

37/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–33/25–2/2012 /आजावि दिनाक 07 सितम्बर 2012 द्वारा जो छ.ग. राजपत्र मे दिनाक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 92** में "खर्रा, खडरा, खोडरा" को सम्मिलित किया गया है।

38/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–33/25–2/2012 /आजावि दिनांक 07 सितम्बर 2012 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 93** में "रौनियार" को सम्मिलित किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–16/2014 /25–2 दिनांक 13 अक्टूबर 2014 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 09 दिसम्बर 2016 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 93** में अंकित "रौनियार" के आगे "कमलापुरी" को सम्मिलित किया गया है।

39/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि दिनाक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र में दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 94** में "बिंद, बीद, बिन्द, बीन्द"" जातियों को सम्मिलित किया गया है।

40/ छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर, की अधिसूचना क्रमांक एफ–19–22/25–2/2013 /आजावि दिनाक 18 सितम्बर 2013 जो छ.ग. राजपत्र मे दिनांक 07 मार्च 2014 को प्रकाशित हुआ है, द्वारा अनुसूची के सरल **क्रमांक 95** में "झोरा" जाति को सम्मिलित किया गया है।

3– अधिसूचना दिनांक 02 अप्रैल 1997 द्वारा जारी पिछड़ा वर्ग की सूची के कॉलम 04 (कैफियत) में सरल कमाक 12, 20, 21 (आंशिक) 38, 47, 57, 76 एवं 81 मे अंकित प्रविष्टियॉं छ.ग. राज्य से सम्बन्धित न होने एवं अप्रासंगित होने से विलोपित की जाती है। इसी तरह सूची के सरल कमांक 87(21) मे प्रतिबंधित शब्द अंकित होने से कैफियत कॉलम मे अंकित प्रविष्टि विलोपित की जाती है।

अतः समय–समय पर किए गए संशोधन, परिवर्धन, विलोपन को समावेशित करते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिये पिछड़ा वर्ग के जातियों की निम्नानुसार एकजाई सूची अधिसूचित करता है–

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
1	अहीर, ब्रजवासी, गवली, गोली, जादव, यादव, बरगाही, बरगाह, ठेठवार, राउत, गोवारी, ग्वारी, रावत, गोवरा, गवारी, ग्वारा, गोवारी, महाकुल, राउत, महकुल, गोप, ग्वाली, लिंगायत, गोपाल, यादव, राऊत, ग्वाला, गहिरा, गौली	पशुपालन व दूध विक्रेता का व्यवसाय, जजमानी प्रथा के अंतर्गत गाय, बैल, भैंस आदि पशु चराना	"यादव", अहीर जाति की उपजाति के रूप मे शामिल की गई है अधिकांश अहीर व उसकी उपजातियां अपने को यादव कहती हैं व लिखती हैं, यादव राजपूत इसमे शामिल नही है। राऊत, ग्वाला एवं रावत मे ब्राह्मण राऊत/ग्वाला /रावत एवं राजपूत राऊत/ ग्वाला/रावत शामिल नही है।
2	असारा, असाडा	कृषि कार्य	–

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
3	बैरागी, वैष्णव, थनापति	धार्मिक भिक्षावृत्ति करने वाली जाति	वैष्णव को बैरागी की उपजाति के रूप मे शामिल किया गया है. ब्राह्मण जाति के बैरागी शामिल नहीं किये गये हैं.
4	बजारा, बजारी, मथुरा, नायक, नायकडा, धरिया, लभाना, लबाना लामने.	घुमक्कड़ बैलों को हाककर व्यवसाय करने वाली जाति	नायक को बजारा जाति की उपजाति के रूप में सम्मिलित किया है. नायक ब्राह्मण शामिल नहीं है.
5	बरई, तमोली, तम्बोली, कुमावट, कुमावत, वारई, बरई, चौरसिया.	पान उत्पादक व विक्रेता.	बरई तथा तमोली जाति के लोग अपने को चौरसिया कहते हैं.
6	बढ़ई, सुतार, दवेज, कुन्देर (विश्वकर्मा)	कृषि कार्य हेतु लकड़ी के औजार बनाना, लकड़ी का फर्नीचर तैयार करना	विश्वकर्मा को बढई की उपजाति के रूप मे सम्मिलित किया गया है.
7	बारी	पत्तो से पत्तल बनाने वाली जाति	–
8	वसुदेव, वसुदेवा, वासुदेव वासुदेवा, हरबोला, कापडिया कापडी, गोंधली, थारवार.	विरूदावली गाना एव बैल भैसों का व्यापार करना व धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस क्रमाक मे वसुदेव जाति की सभी उपजातियो को शामिल किया गया है.
9	भडभूंजा, भुंजवा, भुर्जी, धुरी, या धूरी	चना, लाई, ज्वार, इत्यादि खाद्यान्न का भाड़ में भूंजना.	इसमें वैश्य जाति से अपने को संबद्ध करने वाली जाति शामिल नही है.
10	भाट, चारण, सुतिया, सालवी, राव, जनमालोंधी, जसोंधी, मरूसोनिया.	राजा के सम्मान मे प्रशसात्मक कविता पाठ व विरूदावली का गायन	–
11	छीपा, भावसार, नीलगर, जीनगर, निराली, रंगारी, मनधाव.	कपड़ों में छपाई व रंगाई	–
12	ढीमर, भोई, कहार, कहरा, धीवर / मल्लाह,नावडा / तुरहा, केवट, केवट, कश्यप, निषाद, रायकवार, बाथम, कीर, ब्रितिया, वितिया, सिगरहा, जालारी, जालारनलु (बस्तर, दक्षिण बस्तर दतेवाडा, उत्तर बस्तर कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा जिलों में) सोधिया.	मछली पकडना, पालकी ढोना, घरेलू नौकरी करना, सिंघाडा व कमल गट्टा उगाना, पानी भरना, नाव चलाना	
13	पवार, पोवार, भोयर, भोयार	कृषि एवं कृषि मजदूरी	इसमें पंवार / पवार राजपूत शमिल नहीं हैं.
14	भुर्तिया, भुतिया, भोरथिया, भोरतिया	पशुपालन व दुग्ध व्यवसाय	–
15	भोपा, मानभाव	धार्मिक भिक्षावृत्ति	इस जाति का वह समुदाय जो गैर ब्राह्मण है. सूची में शामिल किया गया है.

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
16	भटियारा, हलवाई, गुरिया, गुडिया, गुडीया	भट्टी लगाकर सार्वजनिक उपयोग के खाद्य पदार्थ तैयार करना है.	–
17	चुनकर, चुनगर, कुलवधया, राजगीर	चूना, गारा का कार्य करने व भवन निर्माण इत्यादि मे कारीगरी का कार्य करना.	–
18	चितारी	दीवालो पर चित्रकारी करना	–
19	दर्जी, छीपी, छिपी, शिपी, मावी, (नामदेव)	कपडा सिलाई करना	–
20	धोबी, बट्ठी, बरेठा, रजक, बरेठ	कपडा साफ करना	
21	मीना (रावत) देशवाली, मेवाती, मीणा	कृषक	रावत मीना जाति की उपजाति है जो ब्राह्मण नहीं है.
22	किरार, किराड, धाकड	कृषक	राजपूत इसमें शामिल नहीं है.
23	गडरिया, धनगर, कुरमार, हटगर, हटकर, हाटकार, गाडरी, धारिया, धोषी, गडरिया, गारी, गायरी, पाल, बघेले, गडेरी	भेड बकरी पालना	गडरिया जाति व उसकी उपजातियां अपने को पाल व बघेले भी कहते हैं. पाल व बघेले गडरिया जाति की उपजाति के रूप मे शामिल किये गये हैं. बघेल राजपूत पिछडी जाति मे शामिल नहीं हैं.
24	कडेरे, धुनकर, धुनिया, धनका, कोडार	कपास की रूई धुनकने का कार्य करना. कडेरे आतिशबाजी बनाने का कार्य भी करते है	–
25	कोष्टा, कोष्टी, देवागन, कोष्टा, माला, पद्मशाली, साली, सुतसाली, सलेवार, सालवी, देवांग, जन्द्रा, कोस्काटी, कोश्काटी, लिंगायत, गढवाल, गढेवाल, गरेवार, गरावर, डुकर, कोल्हाटी.	बुनकर	इस समूह मे सम्मिलित डुकर कोल्हाटी कर्तव्य व कसरत का प्रदर्शन करते है
26	धोली / डफाली / डफली / ढोली, दमामी, गुरव	गांव पुरोहित का कार्य शिवमंदिरो मे पूजा व उपजातिया ढोल बजाने का कार्य करती है.	इस समूह मे ब्राह्मण समूह शामिल नही है.
27	गुसाई, गोस्वामी, गोसाई	धार्मिक भिक्षावृत्ति, मंदिरो मे महती	ब्राह्मण जाति से संबधित कहने वाले लोग इस समूह में सम्मिलित नही हैं.
28	गूजर (गुर्जर)	कृषक, पशुपालन	राजपूत व क्षत्रिय कहलाने वाले सम्मिलित नही है.

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
29	लोहार, लुहार, लोहपीटा, गडोले, हुंगा लोहार, लोहपटा, गडोला, लोहार (विश्वकर्मा).	लोहे के औजार बनाने का कार्य करना	विश्वकर्मा में ब्राह्मण वर्ग सम्मिलित नही है.
30	गारपगारी, नाथ–जोगी, जोगीनाथ, हरिदास, नाथयोगी, जोगी, नाथजोगी	गारपगारी ओलावृष्टि की रोक करके फसल की रक्षा का कार्य करते हैं. जोगी व इस समूह की अन्य जातियां धार्मिक भिक्षावृत्ति का व्यवसाय करते हैं.	"जोगी" धार्मिक भिक्षावृत्ति करते है लेकिन इस समूह मे जो ब्राह्मण है, वे शामिल नही है.
31	घोषी	भैंस पालक व पशुपालक	इसमें राजपूत क्षत्रिय शामिल नहीं है.
32	सोनार, सुनार, झाणी, झाडी, स्वर्णकार, अवधिया, औधिया, सोनी.	स्वर्ण एवं चादी के आभूषण उगढने व बनाने का कार्य करना.	इस समूह में सोना–चादी के व्यापारी वर्ग या ज्वेलर्स सम्मिलित नही है.
33	(अ) काछी, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य, कोयरी या कोइरी, पनारा, मुराई, सोनकर, कोईर.	शाक–सब्जी उत्पादन व साग–सब्जी तथा फूल उत्पादन व बागवानी.	"कुशवाहा" काछी कोयरी व कोइरी जाति की उपजाति है. काछी जाति की शाक्य व मौर्य भी उपजातियां हैं. कुशवाह राजपूत इसमे शामिल नही है।
	(ब) माली, सैनी, मरार, पटैल, हरदिहा, मरार	---''---	हरदिहा, मरार मे गाव के मुखिया पटेल पद तथा अघरिया, धाकड आदि अन्य जाति जो पटेल उपनाम लिखते है, शामिल नहीं है।
34	जोशी, भड्डारी, डकोचा, डकोता, भटरी, भडरी, भटरी	ज्योतिष का व्यवसाय व शनि का दान लेना	शनिदेव के नाम पर भिक्षावृत्ति व मृत्यु दान लेना, जोशी जाति के लोग करते है. जोशी ब्राह्मण इसमे शामिल नही है
35	लखेरा, लखेर, कचेरा, कचेर	लाख का कार्य करना कांच की चूडियां बेचना.	–
36	ठठेरा, कसार, कसेरा, तमेरा, तम्बटकर, ओटारी, ताम्रकार, तमेर, घड़वा, झारिया, कसेर	ताबा, पीतल व कांसा के बर्तन बनाना.	–
37	खातिया, खाटिया, खाती	कृषक	–
38	कुम्हार, प्रजापति, कुभार.	मिट्टी के बर्तन बनाना	
39	कुरमी, कुरमार, कुनबी, कुर्मी, पाटीदार, कुलमी, कुल्मी, कुलम्बी, कुर्मवंशी, चन्द्राकर, चंद्रनाहू कुभी, गवैल, गमैल, सिरवी, कुन्बी, चंदनाहू, चन्नाहू, गबेल, कुन्दी, कुनवी, गवेल, गभेल	कृषक, कृषि मजदूरी	–

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
40	कमरिया	पशुपालक व दुग्ध विक्रेता	–
41	कौरव, कांवरे	कृषक	–
42	कलार, जायसवाल, कलाल, डडसेना, कलवार	मदिरा (शराब) बेचना	–
43	कलौता, कलौटा, कोलता, कोलटा	कृषक	–
44	लोनिया, लुनिया, ओड़, ओडे ओडिया, नौनिया, मुरहा, मुराहा, मुडहा, मुडाहा, नुनिया, नोनिया	नमक बनाना व साफ करना, मिट्टी खोदना	–
45	नाई, सेन, सविता, उसरेटे, श्रीवास, म्हाली, नाव्ही, उसरेटे	बाल बनाना, विवाह शादी में संस्कार सम्पन्न कराना	सेन, सविता, श्रीवास, उसरेटे नाई की उपजातियों के रूप में सम्मिलित की गई है.
46	नायटा, नायडा	लघु कृषक, कृषि मजदूरी	–
47	पनका, पनिका	मजदूरी करना गाव की चौकीदारी करना, बुनकर	
48	पटका, पटकी, पटवा	सिल्क के धागे कपड़े व सूत बनाना	जैन धर्म के लोगों को छोडकर
49	लोधी, लोधा, लोध	कृषक	–
50	सिकलीगर	शस्त्र सफाई लोहे के औजारों की धार तेज करना.	–
51	तेली, ठाठ, साहू, राठौर	तेल पेरना व बेचने का व्यवसाय करना	तेली जाति के लोग अपने को "साहू" व "राठौर" कहते है. राठौर को तेली की उपजाति में सम्मिलित किया गया है. राठौर राजपूत इमसे शामिल नही है.
52	तुरहा, तिरवाली, बड़डर	मिट्टी खोदने का काम करना, पत्थर तरासना	–
53	किसडी, कसडी	नाच–गाकर मनोरंजन करने वाले	–
54	विलोपित		
55	रोतिया, रौतिया	जो कृषि कार्य करती हैं. पूर्व में सैनिक वृत्ति करती थी.	सरगुजा तथा जशपुर क्षेत्र में पाई जाती हैं.
56	मानकर, नहाल	जगली जनजाति मजदूरी करना	मानकर की उपजाति "निहाल" अनुसूचित जनजाति में शामिल है.
57	कोटवार, कोटवाल	ग्राम चौकीदारी	
58	खैरुवा	कत्था बनाना	"खैरुवा", खैरवार की उपजाति है. "खैरवार" अनुसूचित जनजाति मे शामिल है.
59	लोढ़ा, तंवर	कृषक, मजदूरी, लकडी बेचकर जीवन–यापन करना	–

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
60	मोवार, मौवार	जंगली जानवरों का शिकार व मजदूरी	एक अघोषित आदिम जनजाति
61	रजवार	कृषक एवं कृषि मजदूरी	–
62	अघरिया	कृषक, कृषि मजदूरी	यह जाति अगरिया जनजाति से भिन्न जाति है.
63	तिऊर, तूरी	मछली पकडना व उसका व्यवसाय करना नाविक बास एवं बेंत का सामान बनाने का कार्य करना	–
64	भारूड	पशुओं की पीठ पर लदान द्वारा माल ढोना.	मुगलकाल में फौज की रसद ढोने का कार्य भी करते थे.
65	(विलोपित दिनांक 10.08.2017)	घोडों की देखरेख, घोड़ागाडी हाकना	–
66	तेलगा, तिलगा	कृषि श्रमिक	जंगली आदिम जाति जो तेलुगू भाषी है. विशेषकर बस्तर जिले में पाई जाती है.
67	राघवी	कृषि कार्य करना	–
68	रजभर, राजभर	कृषि मजदूरी	–
69	खारोल	कृषि मजदूरी	–
70	सरगरा	ढोल बजाना	–
71	गोलान, गवलान, गौलान	गाय भैंस पालना और दूध का व्यवसाय	–
72	रज्जड रजझड	कृषि मजदूरी	–
73	जादम	कृषि मजदूरी	–
74	दागी	कृषक	"दागी" राजपूतों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है
75	गयार / परधनिया	कृषि मजदूर एवं पालतू पक्षी पकडकर बेचने वाले	रायगढ़ जिले में अधिकतर पाये जाते हैं.
76	कुडमी	कृषक	
77	विलोपित		
78	बया महरा / कौशल, वया, बया	बुनकर	अधिकांशतः दुर्ग जिले में निवास करते हैं.
79	पिंजारा (हिन्दू)	–	–
80	विलोपित	–	–
81	अनुसूचित जातियां जिन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया है.	पेशा वही है जो धर्म परिवर्तन के पूर्व करते आ रहे है	
82	आंजना	–	–
83	थोरिया, थुरिया, थुडिया	–	–

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
84	गेहलोत मेवाडा	–	–
85	रेवारी	–	–
86	रूआला / रूहेला	–	
	मुस्लिम धर्मावलम्बी वर्ग / समूह		
87	(1) रंगरेज	कपडों की रंगाई	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(2) भिश्ती	पानी भरने का काम	हिन्दुओं की कहार जाति के समान धंधा
	(3) छीपा	कपडो में छपाई करना	हिन्दू छीपा जाति के समान व्यवसाय
	(4) हेला	मलमूत्र सफाई का कार्य	हिन्दू मेहतर जाति की तरह कार्य
	(5) भटियारा	भोजन बनाने का कार्य	–
	(6) धोबी	कपड़ा धोने का कार्य	हिन्दुओं की धोबी जाति के समान व्यवसाय
	(7) मेवाती	कृषि, पशुपालन कार्य के समान कार्य	हिन्दू मेवाती जाति के समान कार्य
	(8) पिंजारा, नददाफ, फकीर, बेहना, धुनिया, धुनकर.	रूई धुनाई का कार्य	हिन्दुओं की कडेरा जाति के समान
	(9) कुजडा, राईन	साग–सब्जी फल इत्यादि बेचना	हिन्दुओं की काछी जाति के समान साग–सब्जी का कार्य.
	(10) मनिहार, चुडिहार	कांच की चूडिया व बिसात खाने का समान बेचना	हिन्दुओं की कचेर जाति के समान धंधा
	(11) कसाई, कस्साव	पशुओं का वध एवं उनका मास / गोश्त बेचने का कार्य	हिन्दू खटिक जाति के समान धंधा
	(12) मिरासी	विरूदावली, यशोगान का वर्णन करना	हिन्दू भाट जाति की तरह पेशा
	(13) मिरधा	चौकीदारी / रखवाली	हिन्दुओं की मिरधा की तरह व्यवसाय

क्र.	नाम जाति/उपजाति/वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
	(14) बढई (कारपेन्टर)	लकड़ी का समान एवं फर्नीचर बनाने का काम.	हिन्दू बढ़ई जाति के समान पेशा.
	(15) हज्जाम (बारबर)	बाल बनाने का कार्य	हिन्दुओं की नाई जाति के समान पेशा करने वाले
	(16) हम्माल	वजन ढोना व पल्लेदारी करना	–
	(17) मोमिन जुलाहा (वे जुलाहे जो मोमिन हैं).	कपडा बुनाई का कार्य	हिन्दू कोस्टी/कोष्टा जाति के समान पेशा
	(18) लुहार, नागौरी	लोहे के औजार व अन्य सामान बनाना	हिन्दुओं के लुहार/लोहार जाति की तरह पेशा करने वाले
	(19) तडयी	कृषि कार्य	–
	(20) बंजारा	घुमक्कड जाति/समूह बैल गाडी से सामान ढोना तथा पशुओं को बेचने का व्यवसाय	हिन्दुओं मे बजारा जाति के समान व्यवसाय
	(21) मोची	चमडे के जूते चप्पल आदि बनाना	
	(22) तेली, नायता, पिंडारी (पिंडारा) कांकर.	कोल्हू से पेरकर तेल निकालना व बेचना.	हिन्दू तेली जाति के समान पेशा करने वाले
	(23) पेमदी	पेड पौधो की कलम लगाने का धंधा	–
	(24) कलईगर	बर्तनो में अन्य सामान में कलई करना	–
	(25) नालबन्द	बैलों व घोडों के पैरों में नाल बांधने का काम.	–
	(26) शीशगर	–	–

क्र.	नाम जाति / उपजाति / वर्ग समूह	परम्परागत व्यवसाय	कैफियत
1	2	3	4
88	रिक्त		
89	शौण्डिक, सुण्डी, सूडी एव सोढी	मदिरा बनाना एव बेचना	यह जाति मुख्यतः रायपुर, बस्तर, कांकेर, धमतरी, बिलासपुर, सरगुजा, कोरिया, जशपुर, रायगढ जिलो मे पायी जाती है.
90	भूलिया–भोलिया, भुलिया	सूती कपडा बुनना	–
91	पोबिया	खेती, मजूदरी	यह जाति रायगढ जिले मे निवास करती है।
92	खर्रा, खडरा, खोडरा	बर्तन मरम्मत करना एवं फेरी लगाकर बर्तन बेचना	–
93	रौनियार, कमलापुरी	कृषि, पशुपालन, बैल / घोडे पर समान लादकर घूम–घूमकर बेचना एवं मजदूरी	इस समूह मे वैश्य शामिल नही है
94	बिंद, बींद, बिन्द, बीन्द	कुँआ, तालाब, बावली खोदना, खेतो मे गड्ढा खोदना एव मछली पकडना	जाजगीर–चांपा जिले के बलौदा विकासखण्ड के नगपुरा, झपेली, बरभाठा, इमली भाठा, रामपुर एव शनिचरा ग्राम तथा मध्यप्रदेश राज्य से लगे हुए क्षेत्र मे मुख्य रूप से निवास करते है.
95	झोरा	मिटटी को धोकर सोना निकालना, कृषि, मजदूरी, मछली पकडना	मुख्य रूप से जशपुर जिले में निवास करते हैं. कुछ जनसख्या रायगढ जिले में भी निवासरत है.

छत्तीसगढ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
एम.एम. मिंज, संयुक्त सचिव

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ द्वारा शासकीय मुद्रणालय,नया रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2020.